

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(16)न्याय/2022 पार्ट-2

जयपुर, दिनांक

:: परिपत्र ::

विषय:—नवनियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारीगण की आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत एम्प्लोई आई.डी. जनरेट किये जाने बाबत।

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन राजस्थान राज्य में क्रमशः राजस्थान आवासन मण्डल, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, नगर परिषद, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पंचायतीराज विभाग, नगर विकास न्यास, स्थानीय निकाय विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड आदि विभागों में किया गया है।

उक्त विभागों द्वारा इन नवनियुक्त कर्मियों की आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत एक्सेस उपलब्ध नहीं होने के कारण एम्प्लोई आई.डी. जनरेट नहीं हो पा रही है तथा विभाग में पत्र प्रेषित कर उक्त कर्मियों की एम्प्लोई आई.डी. जनरेट किये जाने के संबंध में मार्गदर्शन मांगा जा रहा है।

राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के नवनियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारीगण की आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत एम्प्लोई आई.डी. जनरेट किये जाने के संबंध में वित्त विभाग ने इस संबंध निम्नानुसार परामर्श दिया है:—

“यदि वेतन बैंक खाते से निकाला जाता है, तो कर्मचारी आई.डी. एस.आई.पी.एफ. के माध्यम से बनाई जा सकती है या किसी सरकारी कार्यालय को अधिकृत किया जा सकता है।”

अतः राजस्थान विधि (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के नवनियुक्ति कनिष्ठ विधि अधिकारीगण की आई.एफ.एम.एस. 3.0 के अन्तर्गत एम्प्लोई आई.डी. जनरेट किये जाने हेतु संबंधित जिले में कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को अधिकृत किया जाता है।

यह स्वीकृति वित्त (नियम) विभाग की आई.डी. संख्या 212500041 दिनांक 28.01.2025 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(अंकित रमन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संबंधित जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
4. राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के समस्त कनिष्ठ विधि अधिकारीगण।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित विभाग/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव